2020/00160

प्रकरण संख्या 12/2020 शंकर व अन्य बनाम तुलसीराम व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.12.2023	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा कवालिया में वादीगण के कब्जे काश्त की आराजी नंबर 22, 23, 25 कुल किता 3 रकबा 16 बीघा 11 बिस्वा भूमि स्थित है, जिस पर वादी का 23 वर्षो से अधिक समय से कब्जा चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 नाना एवं प्रतिवादी संख्या 2 के पिता स्व. सेगा को रूपयों की आवश्यकता होने से दिनांक 13.11.1974 को उक्त आराजियात 5251/– रूपये में वादीगण को बेचान कर कब्जा सिपुर्द कर दिया एवं इस आशय की एक लिखावट भी गवाहान के रूबरू सम्पादित करवा दी, तब से वादीगण बेरोकटोक काबिज चले आ रहे हैं। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने प्रतिवादी संख्या 6 से 9 को 1/2 हिस्सा विकय कर दिया, किन्तु प्रतिवादी संख्या 6 से 9 ने कब्जा प्राप्त नहीं किया, कब्जा आज भी वादीगण का ही चला रहा है। अतः वादीगण को विवादित आराजियात का खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 से 9 द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 14.07.1997 को नाना ने प्रतिवादी संख्या 6 से 9 को अपना 1/2 हिस्सा 50,000/– रूपये में विकय कर कब्जा सिपुर्द कर दिया है, तब से प्रतिवादी संख्या 6 से 9 आधे हिस्से पर काबिज हैं। अतः वादीगण का वाद खारिज किया जावे। विशेष कथन में अंकित किया कि वादीगण सिविल जज (वरिष्ठ खण्ड) डूंगरपुर के न्यायालय में प्रतिज्ञा पत्र की पूर्ति कराने हेतु प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता सेवा के विरूद्धवाद प्रस्तुत किया, जिसमें दिनांक 05.09.1975 को 5251/– रूपये प्राप्त करने तथा एक लिखा पढ़ी उनके पक्ष में [illegible] खारिज किया गया। तथाकथित विकय पत्र दिनांक [illegible] 11.1[illegible] के आधार पर वाद चलने योग्य न[illegible] वादी क[illegible] खारिज किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में दिनांक 12.04.1999 को कुल 6 तनकियां कायम की गयी तथा दिनांक 26.10.2018 को तनकीवार विवेचन करते हुए वादीगण का वाद स्वीकार कर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:17:26 IST
Reason: SelfAttested

मू.प्र.अ. एवं रा.अ.अ.
उदयपुर (राज.)

डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 22.10.2020 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री शैलेष भण्डारी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 की ओर से अधिवक्ता श्रीकान्त जैन उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ धारा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका में दिनांक 06.09.2018, 13.09.2018, 05.10.2018 व 15.10.2018 को बहस सुने जाने का तथ्य अंकित है तथा दिनांक 26.10.2018 को निर्णय पारित किये जाने का अंकन है, जबकि दिनांक 15.10.2018 को अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा बहस ही नहीं की गयी। उक्त आदेशिका की दिनांक की प्रविष्टि दैनिक सुनवाई के प्रकरणों के रजिस्टर में भी प्रकरण सुनवाई में दर्ज नहीं था। अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकार का पद काफी समय से खाली था और उपखण्ड अधिकारी डूंगरपुर के पास न्यायालय का अतिरिक्त प्रभार था इसलिए सुनवाई उपखण्ड अधिकारी डूंगरपुर द्वारा की जा रही थी। अपीलान्ट को पेशी दिनांक 23.08.2018 के पश्चात् न्यायालय से जानकारी प्राप्त करने पर यह जानकारी दी जा रही थी कि पत्रावली डूंगरपुर मुख्यालय से प्राप्त नहीं हुई। प्राप्त होने पर पेशी दी जावेगी। दिनांक 14.10.2020 को नकल प्राप्त होने पर उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मयाद में शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट/विपक्षी के अभिभाषक ने बताया कि अपीलान्ट/प्रार्थी अधिनस्थ न्यायालय की समस्त कार्यवाही से अवगत थे [illegible] अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी [illegible] 2 वर्ष विलम्ब से अपील प्रस्तुत की है इसके लिए कोई संतोषप्रद कथन नहीं किया है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर अपील इसी स्तर पर खारिज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:17:26 IST
Reason: SelfAttested

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षों की बहस पर मनन

पु.प्र.अ. एवं रा.आ.अ.
उदयपुर (राज.)

किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

दौरान वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिक प्रावधानों के विपरीत है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में अंकित किया कि तनकी नंबर 3 से 5 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण था, परन्तु प्रतिवादीगण को शहादत परीक्षण कराने के कई अवसर दिये जाने पर भी प्रतिवादीगण असफल रहे, जबकि वाद की कार्यवाही में दिनांक 13.04.2016 को प्रतिवादी नाना डी.डब्ल्यू.1 का बयान रेकार्ड पर होने के बावजूद भी उसके बारे में कोई विवेचन नहीं किया गया है तथा रेस्पोन्डेन्टगण को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से उनका वाद स्वीकार किया है। तनकी नंबर 1 के संबंध में भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों व प्रलेखों का विवेचन किया गया है, परन्तु प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों व प्रलेखों का कोई विवेचन नहीं किया है। वादीगण द्वारा विकय पत्र दिनांक 14.07.1997 को निरस्त कराने का वाद सिविल न्यायालय में पेश किया था, जो निरस्त कर दिया गया, जिसमें रिव्यू प्रार्थना पत्र भी वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया जो निरस्त कर दिया गया, जिसकी कोई अपील वादीगण द्वारा नहीं की गयी एवं सिविल न्यायालय का उक्त निर्णय अंतिम निर्णय है, जिससे रेस्पोन्डेन्ट/वादीगण को वाद प्रस्तुत करने का ही अधिकार नहीं था। अपीलान्ट ने अपने जवाबदावे में भी इस तथ्य का कथन किया है, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी निरस्त फरमायी जावे तथा प्रकरण नये सिरे से निर्णय करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने उक्त बहस का जवाब देते हुए बताया कि [illegible] साक्ष्यों के आधार पर विधि [illegible] निर्णय [illegible] किया है। अतः अपील सारहीन होने से [illegible] जावे।

हमने उभयपक्षों [illegible] कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रदर्श 4 जमाबन्दी संवत् 2049 से 2052 में विवादित आराजी नंबर 22, 23, 25

मु.प्र.अ. एवं रा.भ.अ.
उदयपुर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:17:26 IST
Reason: SelfAttested

कुल किता 3 रकबा 16 बीघा 11 बिस्वा भूमि नाना व नाथा अर्थात प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज है एवं उनके द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय दिनांक 14.07.1997 को शंकर, कालू, हीरालाल, सुरेन्द्र अर्थात प्रतिवादी संख्या 6 से 9 के पक्ष में किया गया है, जिसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 331 दिनांक 14.07.1998 केता शंकर, कालू, हीरालाल, सुरेन्द्र अर्थात प्रतिवादी संख्या 6 से 9 के नाम स्वीकृत हुआ है। अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के विपरीत जाकर दिनांक 13.11.1974 की एक लिखतम के आधार पर रेस्पोन्डेन्ट/वादीगण का वाद स्वीकार किया है, जबकि प्रतिवादी/अपीलान्टगण ने अपने जवाबदावे में विशेष विवरण में सिविल न्यायालय द्वारा दिनांक 24.04.1995 को उक्त वाद खारिज किये जाने का कथन किया है एवं इसकी कोई अपील वादीगण द्वारा नहीं किये जाने के आधार पर वादीगण को वाद लाने का ही अधिकारी नहीं होने का कथन किया है, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने इस पर कोई विवेचन नहीं किया है एवं रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के विरूद्ध जाकर अनरजिस्टर्ड लिखतम के आधार पर रेस्पोन्डेन्ट/वादीगण का वाद स्वीकार कर प्रतिवादी/अपीलान्टगण का नाम विलोपित करने का निर्णय पारित किया है, जो प्रथम दृष्टया प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 12/2020 निर्णय व डिक्री दिनांक 26.10.2018 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में हमारे द्वारा उपरोक्त किये गये विवेचन को दृष्टिगत रखते हुए पक्षकारान की पुनः साक्ष्य सबूत लेकर एवं सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 15.03.2024 को उपस्थिरत रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। [illegible] लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 28.12.202[illegible] न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:17:26 IST
Reason: SelfAttested

(प्रदीप [illegible] सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर